State of consumer cases in the country

9. SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2298 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state:

(a) what is the total number of cases filed in Consumer Affairs Courts state-wise, alongwith the number of cases disposed of and those pending;

(b) whether the Consumer Court cases are overburdening the Session judges; and

(c) if so, whether Government are considering to have separate courts for trying Consumer problem cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) A statement of cases pending and disposed of state-wise, is shown at Annexure. (*See* Appendix CLXVIII, Annexure No. 2].

(b) and (c) According to the provisions of the Consumer Protection Act, 1986, a person who is, or has been or is qualified to be a District Judge, can be appointed as President of the District Forum. As such, many District Forums are being presided over by District Judges. However, recently the Hon'ble Supreme Court, in the matter of Civil Writ Petition No. 1141/88, has directed to withdraw the sitting Judges in a phased manner and has directed the State Governments to set up independent District Forums. These directions have been communicated to the St[illegible]

Supply of Palmolien oil to Tamil Nadu

10. SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the total quantum of Palmolien oil allotted to Tamil Nadu during 1989 and 1993 year-wise;

(b) whether it is a fact that there was variation of allotment, if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to consider the raising of allotment quota of palmolien oil during this year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The following quantity of edible oil was allocated to Tamil Nadu during the oil years 1989-90 to 1992-93 (Nov-Oct):—

1989-90	=	49,800 MT
1990-91	=	9,075 MT
1991-92	=	6,000 MT
1992-93	=	3,363 MT
(upto June, 1993)		

(b) Allocation of edible oils to the States/UTs including Tamil Nadu was made on month to month basis depending upon the relevant factors like availability of imported edible oil for allocation, inter-se requirement of the States/UTs, prices of indigenous oil in the market and pace of lifting of earlier allocated oils etc.

(c) Edible oil, at present is neither being imported nor allocted to States/UTs on a regular basis. Hence, there is no question of raising the allocation to Tamil Nadu.

मध्य प्रदेश के लिये खाद्यान्नों का आबंटन

11. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले

और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा-ऋतु के दौरान मध्य प्रदेश के दुरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में सार्वजनकि वितरण हेतु प्रदान किए गए खाद्यान्नों के नाम क्या हैं तथा उनकी मात्रा कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या प्रदान किए गए खाद्यान्नों की सारी मात्रा को वर्षा के दौरान अगम्य क्षेत्रों में वस्तुतः पहुंचा दिया गया है ;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन खाद्यान्नों को उपलब्ध कराया गया है तथा उन्हें कब उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) इन क्षेत्रों को उलपलब्ध कराए गए कुल खाद्यान्न में से मोटे अनाज की मात्रा कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) राज्य में 1992–93 के दौरान उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए मध्य प्रदेश को आबंटित चावल तथा गेहूं की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा हजार मी0 टन में)

वस्तु	मात्रा
चावल . .	463.1
गेहूं . . .	532.5

केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के भीतर आगे और विवरण के लिए केवल थोक में आबंटन करती है । राज्य के भीतर अंतर-जिला अन्तः क्षेत्र आबंटन करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की हकदारी के मानदण्ड के बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं । खाद्यान्न किन स्थानों को उपलब्ध किए जाते हैं, इसका ब्यौरा केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का है और वह किसी भी राज्य की, जिसमें रमध्य प्रदेश शामिल है, कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता है ।

खाद्य तेलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

12. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य-तेलों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार खाद्य-तेलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1989 में चार पक्षीय नीति के साथ एक एकीकृत नीति, जिसमें फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, मूल्य समर्थन सहित किसानों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है, तैयार की गई, ताकि तिलहनों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके । मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में तिलहन नीति संबंधी एक शक्ति प्राप्त समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव, सदस्य हैं,